



संख्या— 18
07/01/2026

मनरेगा के तहत जल संसाधन विभाग द्वारा नहरों और जलवाहों का जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण कार्य किया जाएगा

- जल संसाधन विभाग अब मनरेगा के माध्यम से स्वयं करेगा 20 घनसेक या उससे कम जलश्राव वाली लघु नहर, उप-नहर, जलवाहा और जलरुद्ध क्षेत्रोंध्वोर से जल निकासी एवं तटबंध का सुदृढीकरण का कार्य

पटना 07 जनवरी, 2026 :- सात निश्चय-3 के तहत हर खेत तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत जल संसाधन विभाग द्वारा 20 घनसेक या उससे कम जलश्राव वाली नहरों और जलवाहों का जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण कार्य किया जाएगा। जल संसाधन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में इस संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी संयुक्त रूप से अध्यक्षता जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री संतोष कुमार मल्ल और ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार द्वारा की गई। बैठक में मनरेगा आयुक्त श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में यह चर्चा हुई कि जल संसाधन विभाग अब मनरेगा (टठ-ळ-ट।ड-ळ) के तहत उपरोक्त कार्यों का क्रियान्वयन स्वयं अपने तकनीकी पर्यवेक्षण में करेगा। इससे कार्यों का समुचित तकनीकी अनुश्रवण संभव होगा। यह कार्य पहले ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से संपन्न होता था।

बैठक में श्री संतोष कुमार मल्ल ने स्पष्ट निदेश दिए कि विभाग द्वारा संचालित कार्यों में 20 घनसेक या उससे कम जलश्राव वाली नहरें, लघु नहर, उप-लघु नहर, जलवाहों एवं जलरुद्ध क्षेत्रोंध्वोर से जल निकासी एवं तटबंध सुदृढीकरण शामिल होंगे। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि पंचायतवार योजनाओं का चयन कर 20 जनवरी 2026 तक अनुमानित लागत सहित सूची जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को उपलब्ध कराई जाए, ताकि इन्हें मनरेगा के वार्षिक कार्यक्रम में 31 जनवरी 2026 तक सम्मिलित किया जा सके।

प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा सभी मुख्य अभियंताओं (सिंचाई एवं बाढ़ प्रक्षेत्र) को निर्देशित किया गया कि वे संबंधित कार्यपालक अभियंताओं के कार्यों का अनुश्रवण सुनिश्चित करें। सभी प्रगति विवरण साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन के माध्यम से नियमित रूप से विभाग को उपलब्ध कराए जाएं।

यह पहल राज्य में जल प्रबंधन और सिंचाई संरचनाओं के पुर्नस्थापन के कार्य की तकनीकी सहमति से सुदृढ करेगी। साथ ही मनरेगा (VB-G-RAM-G) के तहत रोजगार सृजन के साथ नहर प्रणालियों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने में मदद मिलेगी।